RAJYA SABHA

lay, the 15th July, 1996/the 24th Asadha, 1918 (Saka)

: House met at the eleven of the : **Mr. Chairman** *in the Chair.*

.AL ANSWERS TO QUESTIONS

Radical Changes in P.D.S.

HRI GHUFRAN AZAM:
HRI H. HANUMANTHAPPA:

ll the Minister of CIVIL LIES, CONSUMER AFFAIRS PUBLIC DISTRIBUTION be d to state:

whether Government propose to radical changes in the country's Distribution System so as to le maximum benefit to the poor e;

if so, the details thereof;

whether the views of Panchayat 'oluntary Organisations engaged ng the standard of poor people be taken into account; and

if so, the details thereof?

MINISTER OF FOOD AND TER OF CIVIL SUPPLIES, UMER AFFAIRS AND IC DISTRIBUTION (SHRI ENDRA PRASAD YADAV): to (d) Government proposes to amline the PDS with its focus on e poor. The details are being orked out in consultation with the Governments.

Commodities under P.D.S.

SHRI K. RAHMAN KHAN: the Minister of CIVIL PLIES, CONSUMER AFFAIRS PUBLIC DISTRIBUTION be sed to state:

details of the commodities being ibuted under P.D.S.;

) whether the prices of nmodities under P.D.S. were constant during last three years or they had increased, if so, by how much;

(c) the States which are supplying rice, wheat at below the prices fixed by the Central Government for P.D.S. and rate of such supply in the States; and

(d) whether the Central Government are considering to have uniform prices under P.D.S. throughout the country?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES. CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Central Government makes available the essential commodities, namely, rice, wheat, sugar, imported palmolein, soft coke and kerosene oil to States/UTs for distribution through the Public Distribution System (PDS).

(b) The details of Central Issue Prices (CIP) for PDS commodities during the last three years are given in Statement-I *see* below. It is observed that the CIP of rice, wheat and sugar have been increased once during the last three years whereas there has been no increase in CIPs of kerosene oil and soft coke.

(c) and (d) The Central Government issues rice and wheat at uniform Central Issue Prices as mentioned in Statement-I. However, some State Governments like Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Orissa, Maharashtra and Tamil Nadu are supplying rice and wheat at below the Central Issue Prices as per details given in Statement-II.

Statement-I

The details of the Central Issue Prices of PDS commodities during the last three years are as follows:—

(Rs. per quintal)

Commodity	Effective from	PDS Common	PDS Fine	PDS S. Fine	R.P.D.S. Common	R.P.D.S. Fine	R.P.D.S. S. Fine
1. Rice	11.1.1993	437	497	518	387	447	468
	01.2.1994	537	617	648	487	567	598
2. Wheat	11.1.1993		330			280	
	01.2.1994		402			352	
3. Levy Sugar	17.2.1993		Rs.8.30 per kg.				
	01.2.1994		Rs.9.05 per kg.				
		Bulk (Rs. per tonne)		15 Kg. tin			
4. Imported edible oils	04.1.1992	22,000				25,000	
	21.7.1994	24,000				27,000	
5. Kerosene	01.10.1993	Rs. 2,530/-		Per kilo litres.			
6. Soft coke	27.5.1982	Rs. 175		per tonne.			

Statement-II

State	Rice (Rs. per kg.) Common	Fine	Super Fine	Wheat (Rs. per Kg.)
Andhra Pradesh*	2.00	—	—	
Karnataka**	3.20			2.00
Orissa+	(*)2.00 (+)5.12			
Tamil Nadu	2.00	3.75	3.75	
Gujarat***				2.00
Maharashtra	@4.40 to 5.50			3.00

Andhra Pradesh*	White card holder whose annual income is Rs. 11,000/- per annum and below.
Karnataka **	For Green card holders with annual income of less than Rs. 6,400/-
Orissa	(*) "Release for hunger" programme @ 10 kg. per family. (+) Another 10 kg. per family.
Gujarat***	"Food for poor programme" Govt. of Gujarat scheme.
Maharashtra @	I.T.D.P. Areas only.

MR. CHAIRMAN: Question No. 61 and Question No. 62 are related to each other. So I can club them together; otherwise, there would be repetition of the supplementaries. Both the Questions relate to the PDS and the subject-matter is the same.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, this Government is in the habit of making statements outside Parliament. They don't want to come before Pa. This statement was made by the Minis about 15 days ago. The Department made a statement outside Parliament about 15 days ago that the PDS would be streamlined? What are the defects which they have found? What are they going to streamline? Sir, without these details they make statements outside Parliament. They say that they propose to streamline

the PDS after consulting the State Governments. Sir, they had a meeting with all the Chief Ministers. I would like to know whether this subject has been discussed and whether any proposals have come. The Minister should give all these details. He cannot just say "We are streamlining". What is wrong with the existing PDS?

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I am putting my question. Why are they keeping the Parliament in dark?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि माननीय सदन को या माननीय सदस्य को कहीं अंधकार में रखा जाए। अभी पिछले दिन 4-5 जुलाई को पूरे देश के सभी माननीय मुख्य मंत्रियों का कांफ्रेंस हुआ था बेसिक सर्विसिज़ पर, जिसमें हमारे पी०डी०एस० को जो सहमति है, पी०डी०एस० को स्ट्रीमलाइन में करने में, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य को स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य मंत्रियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए की जाने वाली सुव्यवस्था और खाद्यान्नों को रियायती दरों पर जारी किए जाने वाले प्रस्तावों का स्वागत किया है।

सभी मुख्यमंत्रियों से हमने कंसल्ट किया है और 4 और 5 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था और सभी ने इसका स्वागत किया है। यह तो केवल प्रस्तावित योजना है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आपके सुझाव हमें मिलें ताकि हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बना सकें और जो इस देश के करोड़ों गरीब लोग हैं, उन तक इसका लाभ पहुंच पाए। माननीय सदस्य ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सदन में उठाया है इसलिए मैं सदन के प्रति और माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री हेच० हनुमनतंप्पा: माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने बताया है कि जो प्रस्ताव इन्होंने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा था, उसका सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया। वह प्रस्ताव क्या था? मंत्री जी इस बारे में हमारे सुझाव मांग रहे हैं। पहले आप वह प्रस्ताव पार्लियामेंट के सामने रख दीजिए ताकि हर पार्लियामेंट मेंबर उसको पढ़ सके और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः ठीक है।

श्री हेच० हनुमनतप्पाः मुख्यमंत्रियों के सामने जो प्रस्ताव रखा गया था, जिसका स्वागत हुआ, वह प्रस्ताव पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने भी रख दीजिए। This is only a clarification on this first answer.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः माननीय सदस्य यह विश्वास रखें कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरे सदन को और माननीय सदस्य को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा आप जरा धैर्य से हमारी बात सुनें। हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। सरकार के पास इच्छा-शक्ति है और सरकार इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित करती है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि वह प्रस्ताव क्या था? मैं उस प्रस्ताव को मूल रूप में रख देना चाहता हूं।

'The Conference of the Chief Ministers proposed to streamline the Public Distribution System with focus on the population below the poverty line and issue foodgrains at a specially subsidised price. इस प्रस्ताव का सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वातगत किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्रियों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। The Chief Ministers, however, felt that as a large section of the pupulation who may be above the poverty–line is also at present getting the benefit of the Public Distribution System, suitable measures should be taken to ensure availability of the essential commodities at reasonable prices to this section. The Chief Ministers also suggested that before finalising the below the poverty-line population, their States should be consulted.

फिर मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में और भी राज्यों से डायरेक्ट कंसलटेशन किया जाए। मैं इस सिलसिले में आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं। आप भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के संबंध में अपने सुझाव दीजिए, हम उन पर विचार करेंगे।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मुख्यमंत्रियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इस बारे में और भी हमें कंसल्ट किया जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि—They are on their own. But this Government is there because of them. So, they are demanding their pound of flesh. I want a clear assurance from the Minister.

SHRI NILOTPAL BASU: I do not know whether there is a point of order. But it is unfair to cast aspersions on the Chief Ministers ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: He is not casting aspersions...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the Member to finish ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: He has used the words 'pound of flesh'.

MR. CHAIRMAN: It is not unparliamentary at all...*(Interruptions)*

SHRI SATISH AGARWAL: He has not referred to the West Bengal Chief Minister...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद सलीमः मांस के बजाय दूसरा कुछ कहिए। ....**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Mr. Hanumanthappa, please conclude.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Actually, my friends are still adjusting to being on the ruling side. They think that they are in the opposition front. Sir, the assurance that I wanted from the hon. Minister was that while consulting the Chief Ministers of States he would also consult Parliament. This was my question.

MR. CHAIRMAN: Okay...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, this question is only arising out of his answer. My second supplementary is, while streamlining the Public Distribution System, there is a small hitch in the present PDS while covering the tribal areas. In Orissa, Bihar and other States, the PDS benefits, about which every Government is claiming that it would reach the PDS to the poorest of the poor, are not reaching the tribal people of these areas. It is because the PDS men do not have the transportation facilities to take the foodgrains to the habitats of tribal areas. They expect the tribals to come to the stores which are miles away from their places. They have to walk the distance. If the PDS man is asked, he says that the transportation charges are not covered in the overhead expenses and that is why he is not able to take the foodgrains to the habitats. So, I would like to know from the hon. Minister, when he has committed here and has claimed that the PDS should reach the poorest of the poor, whether he would include the transportation charges so that every habitat of the tribal areas can get the foodgrains through the PDS.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सप्लीमेंटरी क्वेश्चन के ज़रिए परिवहन व्यवस्था को दुदृढ़ करने के विषय में ज़िक्र किया है, यह जो सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली है, इसके दो पहिए हैं। एक पहिया है राज्य सरकार और दूसरा पहिया केन्द्र सरकार। ये दोनों पहिए बराबर हों, इसीलिए इसको लाया गया है। हम चाहते हैं कि आखिरी आदमी तक इसका लाभ पहुंचें। परिवहन व्यवस्था, जो हमारे दूर-दराज के इलाके हैं, नार्थ-ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहा रेक्स के लिए हम रेलवे डिपार्टमेंट को लिखते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट हमें रेक्स प्रोवाइड करता है तब जाकर हम परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं लेकिन जहां रास्ते ऐसे हैं कि रेल यातायात की व्यवस्था नहीं है, वहां निश्चित रूप से उस दिशा में हमें काम करना है और हम परिवहन व्यवस्था का जैसे माननीय सदस्य ने उड़ीसा का ज़िक्र किया या आदिवासी बेल्ट का जिक्र किया, अभी पूरे देश में लगभग 1775 ब्लॉक आर० पी० डी० सी० के अंतर्गत चल रहे हैं ताकि आदिवासी इलाकों में गरीब लोगों को सुविधा से उचित मात्रा में पी०डी०एस० का लाभ मिल सके, इसके लिए एक अलग योजना है लेकिन यह जब स्ट्रीमलाइन होगा तो हमारी जो प्रस्तावित योजना है उससे ये सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी।

श्री हेच० हनुमनतप्पाः पार्लियामेंट को कंसल्ट कर लीजिएगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः ठीक है अभी सदन में सवाल आया है। मैं चाहता हूं जो भी माननीय सदस्य अपने अमूल्य सुझाव देना चाहते हैं वे जल्दी से जल्दी ऐसा करें चूंकि अभी एक महीने के भीतर हमने मुख्य मंत्रियों का सम्मलेन किया है और एक राउंड हमने परामर्श लिया है राज्यों से और हम चाहेंगे कि माननीय सदस्यों की भी राय हमको जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम उस दिशा में कारगर कदम उठा सकें और जन-वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर सकें और जो आम आदमी हैं, गरीब लोग हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे। ....**(व्यवधान)**....

SHRI K. RAHMAN KHAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to know through you from the hon. Minister, who is claiming that this Government is for the poor, whether the statement made

recently that they are going to supply foodgrains at the subsidised prices through the Public Distribution System to those below Rs. 10,000 level is right. Rupees ten thousand per annum is no income at all these days. Even the minimum wage is fixed at Rs. 10,000 per annum.

If they exclude them, a large number of people whose income is just above Rs. 10,000/- but who are below the poverty line would not get the benefit of PDS. Therefore, I would like to know whether the policy of the Government is going to help the poor people.

SOME HON. MEMBERS: Is Rs. 10,000/- the annual income or income per month?

SHRI K. RAHMAN KHAN: It is per annum. So, people whose income is above Rs. 10,000/- are being excluded. The annual income for the green cardholders in Karnataka is Rs. 6,000/-. We are trying to give rice at a subsidised rate of Rs. 2/- per kilogram. It is going to benefit a large section of poor people. I would, therefore, like to know from the hon. Minister whether the Government is considering bringing all those people who are not income-tax payees under the subsidised public distribution system.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूं कि 1993 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय नीति तय करने के संबंध में मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट मेरे सामने है। इस रिपोर्ट में प्लानिंग कमीशन के ग्रुप की भी अनुशंसा आयी है। इसलिए अभी कोई पैरामीटर सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। सरकार के सामने कई बिन्दु हैं। जैसे यह रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आयकर दाता का जिक्र आया है। और भी ऐसे चार-पांच बिन्दु हैं जिनका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता, सब रिपोर्ट में दर्ज है। गरीबों के लिए पैरामीटर तय करना पड़ेगा क्योंकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का लक्ष्य है, उस तक हमारी सरकार को पहुंचना है, इसके लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय है, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। पैरामीटर के संबंध में अभी कोई फैसला हमने नहीं किया है। इसके संबंध में हम आपकी राय मांग रहे हैं।

श्री सुंदर सिंह भण्डारीः पहले आप अपना प्रोग्राम तो बताइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः इस देश में लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमारे पास सैंट्रल सर्वे की रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है लाकड़ा ऐक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्टस को देखने की जरूरत है, हम वर्क आउट कर रहे हैं। इसलिए अंतिम नतीजें पर हम अभी नहीं पुहंचे हैं। जब आपकी राय आएगी, तभी अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

SHRI K. RAHMAN KHAN: I would like to know from the hon. Minister whether there are four States which are giving foodgrains, particularly rice and wheat, at a subsidised rate which is lower than the rate fixed by the Central Government under the public distribution system. I would also like to know as to how many cardholders in Karnataka and Andhra Pradesh have benefited from the said concession.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय चार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु दो रुपये किलो की दर से चावल उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा यह अपने आंतरिक संसाधनों से कर रहे हैं। आंतरिक संसाधन जो राज्य के हैं, उसका सब्सिडी का बोझ वहन करके राज्य कम दर पर चावल उपलब्ध करवा रहे हैं। यह राज्य सरकार का काम है। यह राज्य सरकार का अधिकार है। राज्य सरकार चाहे तो जो कंज्यूमर प्राइस है, उसे वह ही फिक्स करती है। केन्द्र सरकार एक दाम पर सारे देश में देती है।

श्री राजनाथ सिंहः श्रीमन्, वर्तमान पी०डी०एस० सिस्टम दोषपूर्ण होने के कारण लाभार्थियों को जैसा लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है और साथ ही इस पी०डी०एस० सिस्टम के कारण दोहरी मूल्य व्यवस्था को जन्म मिलता है। इस दोहरी मूल्य व्यवस्था के कारण ब्लैक मार्किटिंग को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान पी०डी०एस० सिस्टम को समाप्त करके कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वालों को राजकीय खजाने से कूपन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके जिससे वे कहीं से भी अपने आवश्यक उपभोग की चीजें खरीद सकें। मान्यवर, साथ ही दूसरा प्रश्न यह है कि चीनी के वितरण के मामले में भेदभाव बरता जाता है यानी शहरी लोगों को ज्यादा मात्रा में चीनी उपलब्ध कराई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम मात्रा में चीनी

उपलब्ध कराई जाती है। क्या इस भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में माननीय मंत्री जी के द्वारा कोई कदम उठाया जायेगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य की भावना बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो इसका प्रक्टीकल आसपेक्ट है और जो वितरण प्रणाली की मंशा है और जो माननीय सदस्य नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, उनकी भावना से मैं सहमत हूं। लेकिन सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नये तरीके से अभी नहीं है। यह क्वेश्चन में ऐड करना चाहते हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गरीबों तक लाभ पहुंचे। सरकार को अगर इस दिशा में कोई भी कारगर कदम उठाना पड़ेगा तो उसको सरकार उठाने के लिए दृढ़-संकल्प है।

श्री राजनाथ सिंहः मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न चीनी वितरण प्रणाली के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भेदभाव होता है, क्या सरकार उसको समाप्त करेगी?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल सवाल है वह वितरण से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने से संबंधित अलग से आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं? हम देशभर में, सभी राज्यों में, अरबन और ग्रामीण इलाकों में क्या-क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वह हम सदन में रख सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Onward L. Nongtdu.

श्री महेश्वर सिंहः यह प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Kindly sit down.

श्री महेश्वर सिंहः यह तो मूल प्रश्न से संबंधित है। इसके लिए अलग से प्रश्न की क्या आवश्यकता है? यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव क्यों है?

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री राजनाथ सिंहः यह तो नीतिगत प्रश्न है।

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदय, जवाब तो आना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I have asked another Member to ask question.

SHRI ONWARD L. NONGTDU: Mr. Chairman, Sir, the Public Distribution System in the North-East of India is not working well and it is not up to the mark due to the fact that there is a collaboration between the Fair Price Shop dealers and the wholesalers and stockists. I would like to know whether the Minister is aware of the fact that there is a proposal from a voluntary organisation that the Fair Price Shops should be run and managed by women.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, मैंने पूर्व में ही जिक्र किया था कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत होगी। जो माननीय सदस्यों का सुझाव होगा, उस पर विचार करेंगे और राज्यों से डाइरेक्ट कंसलटेशन करके इस दिशा में कार्य करेंगे। सरकार के विचाराधीन जो प्रस्तावित योजना है इसको स्ट्रीम लाईन करेंगे, रि-स्ट्रक्चरिंग करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया महिलाओं की भागीदारी के संबंध में, इसको भी रि-स्ट्रक्चर करेंगे तथा हम गहराई से हर पाइन्ट पर विचार करेंगे और इस दिशा में कदम उठायेंगे। इसलिए जो भी सुझाव आप देंगे, उनका स्वागत है।

DR. MANMOHAN SINGH: The revamping of the Public Distribution System involves two basic issues. One is the proportion of people below the poverty-line. One sees a number of different figures floating around. I would like to know from the hon. Minister, Sir, as to what is the proportion of people below the poverty-line for the country as a whole they have in mind for the revamping of the Public Distribution System.

The second issue is that a revamped Public Distribution System would involve a much larger amount of procurement of food grains than we have been doing in the recent past. Sir, I would like to know, through you, from the hon. Minister whether any thought has been given by the Government as to how this much larger amount of procurement, that the new system will requir, will be procured? Do they envisage an element of compulsion in procurement from farmers to ensure that this supply becomes available?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही बुजुर्ग सदस्य हैं। काफी वरिष्ठ सदस्य होने से उनको काफी जानकारी है इसीलिए वे प्लानिंग कमीशन के बारे में भी काफी जानकारी रखते हैं। गरीबी

रेखा के संदर्भ में मैंने अपने जवाब के क्रम में साफ-साफ कहा था कि लाकडावाला एक्सपर्ट ग्रुप ...(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवालः 40 परसेंट (**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मेरी बात तो सुन लीजिए। बीच में इन्टरेप्ट मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवालः मनमोहन सिंह जी कहते हैं 30 परसेंट ...लिविंग बिलो दि पावर्टी लाइन ... (**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः हमारे पास पूरे तथ्य हैं। मैं जो भी जवाब दूंगा ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: He has not said anything so far. Let him say ....*(Interruptions)*...

श्री सतीश अग्रवालः नहीं साहब पहले कह चुके हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मेरे पास पूरे तथ्य हैं इसीलिए हमारी सरकार तथ्यों के आलोक में जवाब देगी। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आपको काफी जानकारी है। अभी जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है ये 87-88 की है। फिर आगे लगातार कुछ-कुछ अन्तर है इसलिए हम तथा हमारी सरकार इन बिन्दुओं पर विचार कर रही है। अभी तक जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी भी मैं दे सकता हूं। मेरी जानकारी में देशभर में पावर्टी लाइन के नीचे 6 करोड़ 24 लाख परिवार हैं, लगभग 40 प्रतिशत लोगों का आंकलन है। फिर दूसरी रिपोर्ट में दूसरा आंकलन है, इसीलिए हमें एक सामयिक रिपोर्ट बनाकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का निर्धारण करना है, एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाकर इसको स्वीकृत करने की जरूरत है। इसीलिए सदन में अभी प्रमाणित रूप से कुछ कहना उचित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि तथ्यों के आलोक में इसका निर्धारण करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि कम्प्रीहेंसिव फिगर हमारे पास हैं। एक सामयिक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाकर हम आपके सामने फिर कह सकते हैं ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: What about procurement?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, दूसरा सवाल था प्रक्योरमेंट के संबंध में, अनाजों का प्रक्योरमेंट। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जहां ज्यादा उपज हो रही है वहां थोड़ा प्रक्योरमेंट को बढ़ाया जाये, हम इस दिशा में यह पहल कर रहे हैं कि प्रक्योरमेंट को बढ़ाया जाए। चावल का अच्छा प्रक्योरमेंट है। अनाज के मामले में तो सभापति महोदय हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, चावल हो, चीनी हो या गेहूं हो।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Chairman, Sir, the question is different. The first question is whether the revamped PDS would require a larger procurement or not. The second question is whether this larger procurement would even be enforced on the farmers to procure, if that is not coming. These are the two questions, if I remember correctly.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उससे हम सहमत हैं, लेकिन अभी हमारे पी०डी०एस० में जनवितरण प्रणाली में 44 लाख टन चीनी की खपत होती है, पी०डी०एस० में गेहूं और चावल दोनों की खपत मिलाकर 140 लाख टन होती है। ...(**व्यवधान**)... कभी-कभी एलोकेशन होता है 210 लाख टन, लेकिन जो आफ टेक या लिफ्टिंग होता है वह 140 लाख टन है। आपका सवाल है कि ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। सरकार इस दिशा में कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि खाद्यान्न की सुरक्षा का सवाल है। इस मामले को हमने प्रियोरिटी में लिया है। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया गया है। केन्द्र सरकार ने भी प्राथमिकता से लिया है इसीलिए इस दिशा में जो भी पहल हमको करनी होगी हम करेंगे। जिधर आपका इशारा है, जो आप संकेत दे रहे हैं....।

श्री भूपेन्द्र सिंह मानः क्या करना है ... (**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः इरादा यह है कि सब्सिडी ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, the existence of PDS is based on the supply of essential commodities by the Government of India. In the past also when the procurement price increased, the issue price also relatively increased and the increase was passed on to consumers. In fact, what you are doing is that you are paying more price to the farmers and passing that on to the consumers and the consumers have to bear all the burden. Even the statistics show an increase of 30 to 40 per cent every year. In reality, the prices of the commodities available

through PDS increase repidly. I want to know from the Minister whether deviating from the past, you will see to it that the issue price does not increase periodically and that you will bear the burden on the subsidy or not. (Interruptions) 'You' means the Government of India.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, केंद्रीय सरकार का जो सेंट्रल इश्यू प्राइस है उसके आधार पर पूरे देश में अनाज की आपूर्ति करती है। अभी सेंट्रल इश्यू प्राइस व्हीट का 402 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह से कामन राइस, फाइन राइस सब का अलग है। आंकड़े बताने में समय लग जाएगा लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, वे कंज्यूमर प्राइस फिक्स करती हैं। राज्य सरकारें अपने राज्यों में कीमतें फिक्स करती हैं तो कुछ राज्य सरकारें ज्यादा करती हैं और कुछ कम करती हैं। भारत सरकार इस बात के लिए चिंतित है। यह समान रूप से सभी जगह लागू हो जाए ऐसा चाहती है। लेकिन राज्य सरकारें अपने राज्यों में स्वंय कंज्यूमर प्राइस फिक्स करती हैं। यह राज्य सरकारों के अधिकारों के अन्तर्गत है। हम चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में गाइड लाईंस भी जारी करते रहते है।

SHRI VAYALAR RAVI: You are increasing the issue price. It was so even in the past. Will you restrict it? *(Interruptions)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इश्यू प्राइस हमारी तरफ से कितना जारी किया गया है यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं उसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं ताकि सभी माननीय सदस्य उसको देख सकें। लेकिन जब सप्लीमेंटरी क्वेश्चन के जरिए पूछा गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि 402 रुपये प्रति विंटल गेहूं के दाम हैं। यह सेंट्रल इश्यू प्राइस है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दिल्ली में यह 427 रुपया प्रति क्विंटल है जो राज्य सरकार ने फिक्स किया है। इसी तरह गेहूं के दाम विभिन्न जगहों में, कर्नाटक में 443 रुपये प्रति किंवटल है, सभी जगह यह अलग अलग है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे सदन के पटल पर रख सकता हूं ताकि माननीय सदस्यों की जानकारी हो जाए। ...(व्यवधान)... यह हमने स्वीकार कर लिया है। कुछ राज्यो में बढ़ा दिया गया है और कुछ राज्यों में घटा दिया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल: जब बाटा एक भाव पर सारे हिन्दुस्तान में जूते बेच सकता है जो भारत सरकार एक दाम में गेहूं और चावल क्यों नहीं बेच सकती है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: भारत सरकार ने एक ही दाम जारी किया है। सेंट्रल इश्यू प्राइस भारत सरकार जारी करती है। भारत सरकार ने आज भी पूरे देश में 402 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का दाम निर्धारित कर रखा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I have called Mr. Gurudas Das Gupta. *(Interruptions)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 402 रुपया पूरे देश में भारत सरकार ने गेहूं के दाम निर्धारित कर रखे हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I welcome the statement of the hon. Minister, which is unabmiguous, that they would like to review the public distribution system; but the statement is too general. The most important question is : Will the Government consider supplying a number of essential items through PDS to the poverty-stricken people at a reduced price? At the present moment, the prices of commodities supplied thorugh PDS are also quite high. Therefore, will the Government consider reducing the price of some of the essential items supplied through PDS? This is the first patt of my question. The second part of my question is, it is known to everybody that the question of poverty is being determined in an arbitrary way in the country. There was an attempt in the past to underplay the problem of poverty in this country. Therefore, I would like to know—the Government will definitely take steps to determine—how the Government is going to determine the poverty level before extending this particular supply of essential commodities at reduced prices. The third part of my question is what those items are that they would like to supply to these poor people as and when determined by the Government. So, I would like to know whether the prices of these commodities would be reduced and what these commodities would be. I would also like to know how you are going to determine the line of poverty.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: And what is the definition of

essential commodities? ...*(Interruptions)*...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मेरे सामने कई तरह के विचार हैं जो माननीय मुख्य मंत्रियों के जरिए आए हैं, राज्यो से हमने जो सुझाव प्राप्त किए हैं और यह माननीय सदस्यों के द्वारा मैंने पहले ही किया और अभी हमारे सामने, सरकार के सामने एक रिपोर्ट भी है। सन् 1993 में नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा बनाई गई राज्य मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक समाज के संपन्न वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित नहीं किया जाएगा तब तक निर्धन वर्गों को लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में अभी कोई कदम संभव नहीं है। यह रिपोर्ट है, हमारा फैसला नहीं है। हम तो आगे फैसला करेंगे। यह मुद्दा आज भी सब से महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अभी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें आलरेडी इस मुद्दे पर जोर दिया गया है और इंगित किया गया है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को विशेष राशन कार्ड उपलब्ध कराए जायेंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उनको आवश्यक वस्तुएं आधे दाम पर उपलब्ध कराई जायेंगी। यह राज्यों के मंत्रियों की रिपोर्ट है और उसमें कहा गया है कि समाज के संपन्न वर्गों को इस प्रणाली के लाभों से वंचित किया जाए।

श्री राजनाथ सिंह: हम उसकी रेकमेंडेशंस के बारे नहीं जानना चाहते।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, इस रिपोर्ट पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और संपन्न वर्गों को पी०डी०एस० सिस्टम से बाहर निकालने पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसलिए इस पर हमारा पाज़िटिव जवाब है। सरकार गरीबों के लिए कृत-संकल्प है और एफ्लूएंट क्लास या सैक्शन्स को पी०डी०एस० सिस्टम से निकालने के बाद ही इसका लाभ गरीबी की रेखा के नीचे वाले रहने वाले लोगों को मिल पाएगा। जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि अनाज का जो एमाउंट होगा जैसे अभी पांच किलो मिलता है इस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट है उस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। उसमें है गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को आधे दाम पर गेहूं और चावल आपने खुद अपने सप्लीमेंटरी क्वश्चन में जिक्र किया है कि प्रथम फेज़ में कुछ आइटम्ज़ को लिया जाए और फिर आगे चल अन्य आइटम्ज़ को लिया जाए। इस तरह का विचार है। जरूर इस तरह के सुझाव हमारे सामने हैं। इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि आधे दाम पर भी यदि पूरे सदन की सहमति हो जाए और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की राय भी इससे सहमत हो जाए हालांकि अभी तक अधिकांश राज्यों की सहमति हमको मिल चुकी है, और जो राज्य हैं उनसे हम कंसल्टेशन कर रहे हैं। राय मिल जाएगी तो आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की सुविधा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हो जाएगी। इसमें अभी प्रथम फेज़ में, प्रथम चरण में हम चावल को लेंगे और इसके बाद अन्य को लेंगे।

*63. *[The questioner (Shri Rajubhai A. Parmar (was absent for answer, vide col. 29 infra.]*

Delicencing of Industries

*64. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to delicence some more industries;

(b) if so, the industries likely to be delicenced; and

(c) by when this new policy will come into effect?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) At present, there is a short list of 15 industries under compulsory licensing. The process of reviewing the list of items retained under compulsory licensing is an ongoing process.

† The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Shrikant Ramchandra Jichkar.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: The Hon. Minister has said that the question of reviewing the list is an ongoing process. Sir, we know that it is an ongoing process. We ask this question because now the Government has changed. So, what is there in their mind? We want to know what is there in their mind? The Finance Minister has made a public statement that the new Government is going to be more liberal than the previous Government. Several other ministers have been making public state-